FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

[illegible] अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी ....

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गिरधारी पुत्र नगा 2. सुबा पुत्री नगा 3. कृष्ण पुत्री नगा 4. वस्ता पुत्र नगा 5. महेन्द्र पुत्र नगा 6. हस्तु पुत्री नगा जाति भांभी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. नगा पुत्र रणछोडा वगैरा (33) जाति भांभी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 34. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा......धारा 212 RTA

मु0नं0...53..../21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
25.06.2021	प्रार्थीगण गिरधारी वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण नगा वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 31 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो स्व0 रणछोड़ा के वंशज हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 31 की पैतृक संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 29–14 बीघा की आई हुई है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा सन्तान हैं। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के हकदार हैं, है। इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के पिता द्वारा बाहमी बंटवारा में दी गई भूमि पर काबिज है। विप्रार्थी संख्या का 01 उक्त आराजी में नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण द्वारा उपजाऊ बनाई गई प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अजनवी व्यक्तियों को बेचानकर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि इस तरह पैतृक सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर विप्रार्थी संख्या 01 अपने नाजायज मकसद में कामयाव होते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अपने पैतृक हकों से महरूम रहना पड़ेगा, जिसकी आपूर्ति भविष्य किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी विप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण संख्या विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्री होने से प्रार्थीगण के उक्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार निहित हैं। प्रार्थीगण ने अपने हकों की घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विप्रार्थीण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिस होने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विप्रार्थी प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर प्रार्थीगण को बेदखल करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। अतः तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के हक में निहित हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी ता[illegible] विप्रार्थी[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उक्त वा[illegible] ग्राम भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तह[illegible] रकबा 29–14 बीघा में प्रार्थीगण के [illegible] हिस्से व कब्जा [illegible] की भूमि में किसी प्रकार दखलंदाजी नहीं करें[illegible] रखें। वकील प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण [illegible] द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिन[illegible]30.07.2021 को पेश हो। (वीरमाराम) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (वीरमाराम) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:04:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/8/23	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। भूमियों के हकों का निर्धारण वाद पत्र से तय होते हैं। वर्तमान में भूमियां विवादित सरकारी के खातेदार नहीं होने से रेकार्ड खातेदारान को स्थान से [illegible] रखा जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। विद्वान SDM न्या[illegible] द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 25/06/2021 निरस्त की जाकर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली ~~नियम~~ सुमार होकर इस वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलेक्टर, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:04:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner